तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/12418/2025/बूंदी** **ज्ञानमल उर्फ ज्ञानचन्द बनाम लदूर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.01.2026	**एकलपीठ** **श्री अजीत सिंह राजावत, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री दिनेश कुमार साहू अधिवक्ता प्रार्थी। **<u>निर्णय</u>** प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। विद्वान अभिभाषक की बहस निगरानी के एडमिशन व स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने धारा 212 के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अपने आदेश दिनांक 24.09.2025 से विवादित आराजी खसरा नं0 340 रकबा 0.2995 है0 पर प्रार्थी को समुचित सुनवाई अवसर प्रदान किये बिना रिसिवर नियुक्त किये जाने के आदेश पारित कर दिये। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश की अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों व साक्ष्यों को नजरअदांज करते हुये अपने आदेश दिनांक 17.11.20025 के अंतिम पैरा में अंकित करते हुये कि ‘‘प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अंतरिम स्थगन दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है’’ प्रार्थी का स्थगन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/12418/2025/बूंदी** **ज्ञानमल उर्फ ज्ञानचन्द बनाम लदूर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि रिसीवर नियुक्त करने के आदेश तभी दिये जा सकते है जब वादग्रस्त आराजी को गंभीर क्षति व हानि होने की प्रबल संभावना हो। परन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी जिससे विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जाता। परन्तु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज कर प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि मूल वाद अभी परीक्षण न्यायालय में लंबित है जिसमें निर्णय होना शेष है इसलिए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की क्रियान्विती स्थगित किया जाना आवश्यक था परन्तु अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी तर्क व युक्ति युक्त कारण के अपने आदेश दिनांक 17.11.2025 से प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के समस्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.2025 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश एक आगामी तिथि तक का अंतरिम आदेश है जो केस डिसाईडेड की श्रेणी में नहीं आता है। विवादित भूमियों के संबंध में मूल वाद अभी भी परीक्षण न्यायालय में लंबित चला आ रहा है। जिसका अभी अंतिम निर्णय होना शेष है। अतः अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत यह निगरानी अंतर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर **खारिज की जाती** है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/12418/2025/बूंदी** **ज्ञानमल उर्फ ज्ञानचन्द बनाम लदूर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परन्तु इसके साथ ही इस प्रकरण में धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रदत्त विशिष्ट शक्तियों का न्यायहित में प्रयोग करते हुये हम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा को यह निर्देश देना उचित समझे है कि वह उनके यहां विचाराधीन स्थगन प्रार्थना पत्र का उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये आगामी एक माह में अनिवार्य रूप से निस्तारण करे। तब तक उभयपक्ष द्वारा राजस्व रिकार्ड व मौके की आज दिनांक की यथास्थिति बनाये रखी जावे। उभयपक्ष अपीलीय न्यायालय के समक्ष नियत दिनांक 28.01.2026 पेश हो। उक्तानुसार यह निगरानी निर्णित की जाती है। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही हेतु अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(अजीत सिंह राजावत)** **सदस्य**	